भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1300
जिसका उत्तर बुधवार, 25 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

+1300. श्री शरद त्रिपाठीः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कतिपय राज्य जिला न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अभी भी जिला प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जहां जिला न्यायालयों के कार्य की देखरेख प्रशासनिक अधिकारी करते हैं;

(ग) जिला प्रशासन को जिला न्यायालयों से अलग नहीं करने के क्या कारण हैं ; और (घ) ऐसे जिला न्यायालयों को कब तक जिला प्रशासन से अलग किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य किया जाता है;

(i) असम का पश्चिम कारबी ऐंगलोंग जिला;

(ii) मेघालय का उत्तरी गारो हिल, जिला रेसुबलपारा; दक्षिणी गारो हिल्स, जिला बाघमारा, पूर्वी जैनटिया हिल जिला, खैलीहेरिट और दक्षिणी पश्चिमी खासी हिल जिला, मवक्यारवत।

(ग) और (घ) : पश्चिमी कारबी ऐंगलोंग जिले में न्यायालय अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है और गोवाहाटी उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसरण में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और मुंसिफ-सह-मजिस्ट्रेट के पदों जो कामरुप (मैट्रो) जिले में रिक्त थे को पश्चिमी कारबी ऐंगलोंग जिले में न्यायालय अवसंरचना की स्थापना के परिणामस्वरुप न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य करने को समर्थ बनाने के लिए स्थानांतरित करने का विनिश्चय लिया गया है।

मेघालय में अस्थायी कोर्ट अवसरंचना की व्यवस्था की गई है और राज्य सरकार उपरोक्त उल्लिखित चार जिलों में जिला न्यायालय से जिला प्रशासन के पृथक्करण को अंतिम रुप देने के लिए कदम उठा रही है।

****